न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी – विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 350 / 2024 दायर दिनाँक 22.10.2024

वादीनी		प्रतिवादी
1. भंवरी पत्नी खिंवाराम उर्फ खेमाराम जाति जाट निवासी बाबा की ढाणी निमोद तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन	बनाम्	1. हंसराज पुत्र खेमाराम उर्फ खिंवाराम 2. दायालाराम पुत्र खेमाराम उर्फ खिंवाराम 3. गंजु पुत्री खेमाराम उर्फ खिंवाराम जाति जाट निवासीयान बाबा की ढाणी निमोद तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन 4. तहसीलदार मौलासर

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीनी।

श्री कमलेश कुमार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.02.2026

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीनी के पति की मृत्यु दिनांक 01.03.2024 को हो गयी, वादीनी के पति व अन्य खातेदारों की खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 931 रकबा 0.1600 है. खसरा संख्या 932 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 933 रकबा 4.0300 है. खसरा संख्या 933/972 रकबा 0.0500 है. वाके सरहद निमोद में स्थित है उक्त खेतों के अन्य खातेदारों के खिलाफ वादीनी कोई सहायता नहीं चाहती है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खिंवाराम उर्फ खेमाराम के पत्नि व पुत्र – पुत्रियां है। उक्त खेतों की खातेदारी में वादीनी के पति खिंवाराम का नाम गलती से खातेदारी में खेमाराम दर्ज हो गया है। खींवाराम व खेमाराम दोनों नामों से पुकारा व बोला जाता है जिसके कारण वादीनी के पति का नाम उक्त खेतों में खिंवाराम की जगह खेमाराम दर्ज हो गया है ऐसी स्थिति में वादी के पति का सही नाम खिंवाराम है। वादीनी के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में खिंवाराम ही नाम दर्ज है। वादीनी के पति का नाम राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम खेमाराम दर्ज होने से वादी को कानूनी अडचने उत्पन्न हो रही है। जिससे वास्तविक नाम जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत् आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:41 IST
Reason: SelfAttested

मौजा ग्राम निमोद के खेत खसरा संख्या 931 रकबा 0.1600 है. खसरा संख्या 932 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 933 रकबा 4.0300 है. खसरा संख्या 933/972 रकबा 0.0500 है. खसरा संख्या 378 [illegible] खसरा संख्या 416 रकबा [illegible] 0100 है. खसरा संख्या 417 रकबा 0.3200 है. खसरा [illegible] संख्या 418 रकबा 0.0[illegible] है. खसरा संख्या 419 रकबा 0.2000 है0 खसरा संख्या 420 रकबा 8.4800 है. खसरा संख्या 443 रकबा 3.2000 है. खसरा संख्या 444 रकबा 1.4500 है0 खसरा संख्या 452

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

रकबा 0.0100 है. 453 रकबा 0.0700 है., खसरा संख्या 454 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 455 रकबा 0.0500 है0 खसरा संख्या 456 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 457 रकबा 0.1100 है0 खसरा संख्या 458 रकबा 8.6100 है. खसरा संख्या 929 रकबा 1.0100 है. में वादीनी के पति के नाम के गलत अंकन खेमाराम की जगह एक ही नाम खिंवाराम उर्फ खेमाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामीली पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने इकबाली जवाब पेश किया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1096 दिनांक 08.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादीनी ग्राम निमोद के खेत खसरा संख्या 931 रकबा 0.1600 है. खसरा संख्या 932 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 933 रकबा 4.0300 है. खसरा संख्या 933/972 रकबा 0.0500 है. खसरा संख्या 378 रकबा 0.0800 है. खसरा संख्या 416 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 417 रकबा 0.3200 है. खसरा संख्या 418 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 419 रकबा 0.2000 है0 खसरा संख्या 420 रकबा 8.4800 है. खसरा संख्या 443 रकबा 3.2000 है. खसरा संख्या 444 रकबा 1.4500 है0 खसरा संख्या 452 रकबा 0.0100 है. 453 रकबा 0.0700 है., खसरा संख्या 454 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 455 रकबा 0.0500 है0 खसरा संख्या 456 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 457 रकबा 0.1100 है0 खसरा संख्या 458 रकबा 8.6100 है. खसरा संख्या 929 रकबा 1.0100 है.की भूमि में अपने पति का नाम खेमाराम के स्थान पर खिंवाराम उर्फ खेमाराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम निमोद के खसरा संख्या 931, 932, 933, 933/972, 378, 416, 417, 418, 419, 420, 444, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 929 में धारा 136 के तहत नाम खेमाराम पुत्र जालूराम के स्थान पर खिंवाराम पुत्र जालूराम आधार कार्ड, पेनकार्ड, फोटो पहचान पत्र, जन आधार व दुसरी जमाबंदी खसरा नं 443 के आधार पर शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी के पिता का नाम खींवाराम पुत्र जालुराम शुद्ध की प्रविष्टि जमाबंदी खाता संख्या 268 व खसरा नं 443 में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:41 IST
Reason: SelfAttested

मौजा ग्राम निमोद के खेत खसरा संख्या 931 रकबा 0.1600 है. खसरा संख्या 932 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 933 रकबा 4.0300 है. खसरा संख्या 933/972 रकबा 0.0500 है. खसरा संख्या 378 रकबा 0.0800 है. खसरा संख्या 416 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 417 रकबा 0.3200 है. खसरा संख्या 418 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 419 रकबा 0.2000 है0 खसरा संख्या 420 रकबा 8.4800 है. खसरा संख्या 443 रकबा 3.2000 है. खसरा संख्या 444 रकबा 1.4500 है0 खसरा संख्या 452 रकबा 0.0100 है. 453 रकबा 0.0700 है., खसरा संख्या 454 रकबा 0.0100 है. खसरा

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

संख्या 455 रकबा 0.0500 है0 खसरा संख्या 456 रकबा 0.0100 है. खसरा संख्या 457 रकबा 0.1100 है0 खसरा संख्या 458 रकबा 8.6100 है. खसरा संख्या 929 रकबा 1. 0100 है. भूमि में वादीनी के पति का नाम खेमाराम पुत्र जालूराम के स्थान पर खिंवाराम उर्फ खेमाराम पुत्र जालुराम दुरूस्त किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:46:41 IST
Reason: SelfAttested